International Journal of Hindi Research
ISSN: 2455-2232
Impact Factor: RJIF 5.22
www.hindijournal.com
Volume 4; Issue 6; November 2018; Page No. 40-44

प्रिंट मीडिया में तीन तलाक ख़बरों की प्रस्तुतिकरण

डॉ. अख़्तर आलम

सहायक प्रोफेसर, जनसंचार विभाग, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र, भारत।

सारांश

सुप्रीमकोर्ट से तीन तलाक पर फैसला आने के बाद अब भारत में तीन तलाक को असवैधानिक घोषित किया जा चुका है। मीडिया में इससे संबंधित बहुत सी बहसें भी हुई है। प्रिंट मीडिया की ख़बरों की क्या प्रस्तुति रही है। इस शोध पत्र में विश्लेष्णात्मक अध्ययन कर बताया गया है। इस शोध पत्र के माध्यम से सामाजिक और राजनीतिक पहलू का अध्ययन भी किया गया है। 50 बनारस शहर की मुस्लिम महिलाओं द्वारा प्रश्नावली भराई गयी ताकि इस शोध पत्र के माध्यम से एक बेहतर निष्कर्ष निकला जा सके।

मूल शब्द : तीन तलाक, मुस्लिम महिलाओं, प्रिंट मीडिया, सामाजिक और राजनीतिक।

प्रस्तावना

तलाक शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के तल्लाका शब्द से हुई है। इसका अर्थ छोड़ना या मुक्त करना होता है। तीन तलाक़ मुस्लिम समाज में व्याप्त 1400 वर्ष पुरानी एक प्रथा थी। एक बार में तीन तलाक़ मुस्लिम समाज में मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक-2017, The Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill-2017 के तहत असवैधानिक घोषित किया जा चुका है। कोर्ट ने 3:2 के बहुमत से फैसला सुनाया। कोर्ट ने यह भी कहा कि एक साथ तीन तलाक संविधान में दिए गए बराबरी के अधिकार का हनन है। इस तरह का तलाक इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है, इसलिए इसे संविधान में दी गई धार्मिक आजादी (अनुच्छेद 25) में संरक्षण नहीं मिल सकता। इसके साथ ही कोर्ट ने शरीयत कानून 1937 की धारा-2 में एक बार में तीन तलाक को दी गयी मान्यता को भी निरस्त कर दिया। तलाक की दूसरी सूरत तलाक-ए-अहसन अभी वैध है और वह पहले के तरह ही लागू रहेगी। तलाक-ए-अहसन मुसलमानों में यह प्रक्रिया सबसे मान्य है। कोई भी पति कुरआन के मुताबिक एक-एक माह के अंतराल में तीन बार तलाक कह कर पत्नी से संबंध विच्छेद कर सकता है। तलाक की यह विधि अभी भी कानूनन वैध है। इसमें पति पत्नी को एक तलाक कहता है लेकिन पत्नी पति के साथ ही रहती है पति पत्नी को छोड़ता नहीं है। तीन महीने के अंतराल में दोनों में सुलह नहीं हुई तो तीन महीने इद्दत की अवधि पूरी होने के बाद तलाक प्रभावी हो जाता है। तीसरे महीने में तलाक कहने पर पति-पत्नी का संबंध ख़त्म हो जाता है। तलक-ए-बिद्दत में एक बार तीन तलक कहते ही तत्काल प्रभाव से दोनों के बीच पति-पत्नी का संबंध ख़त्म हो जाता था।

तलाक-ए-बिद्दत की सुन्नी के हनफी पंथ में मान्यता थी। भारत में ज़्यादातर मुसलमान सुन्नी हैं जो हनफी पंथ मानते हैं। इस पंथ के मानने वालों की दलील थी कि तलाक-ए-बिद्दत पाप के सामान है फिर भी वैध है। कोर्ट ने इस तर्क को न मानते हुए फैसला दे दिया है। एक बार में तीन तलाक मुस्लिम समाज में एक कुप्रथा के रूप में साबित हुई है। मीडिया में एक बार में तीन तलाक की शिकार मुस्लिम समाज की महिलाओं की तमाम ख़बरें आई हैं। मुख्या धारा की मीडिया में तीन तलाक मुद्दे पर बहसे कराई गयी हैं। और प्रिंट मीडिया में इस मुद्दे पर अच्छी कवरेज भी की गयी है। मुस्लिम समाज की महिलाये तीन तलाक मुद्दे पर मुखर हुई है और अब वह इस तरह की प्रथा से मुक्ति पाना चाहती हैं। नारीवादी मुस्लिम लेखिका एक्टिविस्ट और पत्रकार शीबा असलम फहमी दैनिक भास्कर में प्रकाशित अपने लेख में लिखती हैं कि "बोर्ड में मौलानाओं का आग्रह रहा है कि एक बैठक वाली ट्रिपल तलाक बहुत कम होता है लिहाज़ा इसपर कुछ करने की ज़रुरत नहीं लेकिन हकीकत यह है कि ट्रिपल तलाक खूब होता है, ज्यादा भयानक बात यह है कि ट्रिपल तलाक का खौफ मुसलमान महिलाओं के वैवाहिक जीवन में आतंक का हथियार बनकर सिर पर लटकता रहता है।"

भारत में एक बार में तीन तलाक मुस्लिम समाज की महिलाओं की एक गम्भीर समस्या है। इस्लामी गणराज्य पकिस्तान में तीन तलाक प्रथा की निंदा की गयी है। लोकमत समाचार के एक लेख के अनुसार पकिस्तान के पूर्व चीफ जस्टिस जावेद एस. ख्वाजा ने कहा था कि तीन तलाक शुद्ध इस्लामिक इतिहास का हिस्सा नहीं था और यह इस्लाम कानून के अनुसार वैध नहीं माना जाता था, "त्वरित तलाक या तीन तलाक को इस्लाम में वैध नहीं माना गया है। इसे इस्लामी कानून के अंतर्गत तलाक का अच्छा रूप नहीं माना जाता है।" पकिस्तान समेत बांग्लादेश, तुर्की, साइप्रस, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मलेशियाई प्रान्त, ईरान, श्रीलंका, जार्डन, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, क़तर, सुडान, मोरक्को, मिश्र,ईराक और ब्रुनेई त्वरित तलाक या तीन तलाक को असंवैधानिक मानते हैं। लेकिन भारतीय समाज में त्वरित तलाक या तीन तलाक की मान्यताएं थीं। वरिष्ठ मौलाना सैयद शहराबुद्दीन सलाफी फिरदौसी ने तीन तलाक और हलाला को गैरइस्लामी बताते हुए इसे महिलाओं पर अत्याचार का हथियार बताया है। इंडियन मुस्लिम्स फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी (IMSD) ने मौलाना फिरदौसी के बयान का स्वागत किया है।

मीडिया में आई तमाम खबरों से यह पता चलता है कि मुस्लिम समाज में एक बार में तीन तलाक का दुरूपयोग बढ़ने के कारण तीन तलाक की शिकार कई महिलाओं ने अपने अधिकार की लड़ाई लड़ी है, शाहबानो केस उनमें से एक है। तीन तलाक के संबंध में शाहबानो केस काफी अहम है। 1978 में जब वह 60 साल से अधिक उम्र की थीं उनके पति मोहम्मद अहमद ने तीन तलाक कह कर उन्हें अपनी ज़िंदगी से बेदखल कर दिया था। पांच बच्चों की माँ शाहबानो ने गुज़ारा भत्ता पाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी। कोर्ट ने शाहबानो के पक्ष में फैसला दिया। उनके पति ने इस फैसले के खिलाफ अपील की और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।

शाहबानो के पति का तर्क था कि मुस्लिम पर्सनल ला के तहत तलाकशुदा महिलाओं को ताउम्र गुज़ारा भत्ता देने का कोई प्रावधान ही नहीं है। वहीं शाहबानो

का तर्क था कि दंड प्रक्रिया संहिता देश के प्रत्येक नागरिक वह किसी भी धर्म से हो पर सामान रूप से लागू होती है। उन्हें इसका लाभ मिलना चाहिए। न्यायलय ने शाहबानो के तर्क को स्वीकार्य करते हुए 23 अप्रैल 1985 को उनके पक्ष में फैसला दे दिया। इस फैसले का परिणाम यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देश भर के मुस्लिम संगठनों खासकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मानने से इनकार कर दिया। इसे पर्सनल लॉ में दखल बताया गया। तत्कालीन राजीव गाँधी सरकार ने मुस्लिम धर्मगुरुओं के दबाव में आकर मुस्लिम महिला अधिनियम, 1986 पारित कर दिया। इस अधिनियम के ज़रिये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया गया। शाहबानो जिस अधिकार के लिए लड़ रही थी जीत कर भी वह हार गयीं। तीन तलाक मुद्दा हमेशा से राजनीतिक मुद्दा रहा है।

शोध-प्राविधि

शोध पत्र में अंतर्वस्तु विश्लेषण और प्रश्नावली का प्रयोग किया गया है।

उद्देश्य

- प्रिंट मीडिया में सामाजिक पहलू का अध्ययन
- प्रिंट मीडिया में राजनीतिक पहलू का अध्ययन

प्रिंट मीडिया में प्रकाशित खबरों की प्रस्तुती का विश्लेष्णात्मक अध्ययन

प्रिंट मीडिया में तीन तलाक ख़बरों की प्रस्तुति क्या रही है के अध्ययन के लिए प्रमुख हिन्दी अखबार दैनिक भास्कर , नई दुनिया, हिन्दुस्तान और लोकमत समाचार के विषयवस्तु का विश्लेषण प्रस्तुत शोध कार्य का एक महत्त्वपूर्ण चरण है। प्रस्तुत शोध का गुणात्मक विश्लेषण किया गया है। प्रस्तुत शोध में उद्देश्यपरक निदर्शन प्रणाली के द्वारा अखबार का चयन किया गया है। शोध सामग्री के विश्लेषण हेतु गुणात्मक अंतर्वस्तु विश्लेषण प्राविधि उपयोग में लाई गयी है। इसके अंतर्गत प्रमुख हिंदी समाचार पत्रों में प्रकाशित तीन तलाक संबंधित ख़बरों को तीन मानक बिन्दुओं में बाटकर तथ्यों का अंतर्वस्तु विश्लेषण किया गया है।राजनीती से संबंधित खबर, कानून से संबंधित खबर और पीड़ित मुस्लिम महिला से संबंधित सामाजिक खबर। गुणात्मक विश्लेषण करने हेतु खबर एवं लेखों के शीर्षक भाषा शैली, निहितार्थ एवं सन्देश का विश्लेषण किया गया है। विश्लेषण द्वारा हिंदी समाचार पत्रों में तीन तलाक मुद्दे को समझने का प्रयास किया गया है।

नई दुनिया , 23 अगस्त 2017 ,पृष्ठ -1 राष्ट्रीय संस्करण
शीर्षक- एक बार में तीन तलाक की प्रथा खत्म

तीन तलाक मुद्दे की खबर को नई दुनिया के राष्ट्रीय संस्करण में प्रथम पृष्ठ पर प्रमुख खबर के रूप में छापा गया है। इस खबर के शीर्षक से पता चलता है कि यह मुस्लिम महिला पर थोपी गई एक प्रथा थी। इस खबर में पांच धर्मों के पांच जजों वाली संविधान पीठ के कानून विद के बयान और राजनीतिक सख्शियत प्रधानमंत्री, नरेन्द्र मोदी, सिंह सुरजेवाला, कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम के बयान को भी छापा गया है। इस खबर में एक तस्वीर का प्रयोग किया गया है जिसमें बुर्के में मुस्लिम महिलाएं हैं एक महिला के हाथ में भारतीय झंडा है और तस्वीर का कैप्शन दिया गया है ‘आज़ादी की मुस्कान’। इस खबर में दो तरह के सन्देश हैं एक कानून से संबंधित जानकारी और दूसरी राजनीती से संबंधित शख्सियतों के बयान से पता चलता है कि कुछ राजनीतिक पार्टियाँ इस फैसले से सहमत हैं और कुछ असहमत जैसे असदुद्दीन ओवैसी के बयान से पता चलता है कि वह इस फैसले से सहमत नहीं है उनका कहना है कि कोर्ट- कानूनों से बदलाव नहीं होंगे। खबर में प्रयोग की गयी भाषा संयमित है।

दैनिक भास्कर 23 अगस्त 2017 पृष्ठ -2 बिलासपुर संस्करण
फैसले से भाजपा को लोकसभा की 218 और 15 राज्यों की 166 विधान सभा सीटों पर फायदा संभव

इस खबर के शीर्षक से ही प्रतीत होता है कि यह खबर भाजपा के वोट बैक को बढ़ावा देने के लिए प्रकाशित की गई है। यह खबर यह सन्देश दे रही है कि मुस्लिम महिलाएं भाजपा की तरफ आकर्षित हुई हैं और यह तीन तलाक मुद्दे के कारण कोर्ट के फैसले से संभव हुआ है। खबर में यह भी कयास लगाया गया है की 2019 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिम महिलाएं भाजपा को फायदा पहुँचा सकती हैं। इस खबर में यह भी दावा किया गया है कि तीन तलाक मुद्दे का फायदा उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव में पहुंचा है। भाजपा को मुस्लिम बहुल 124 सीटों में से 99 मिली थीं। इस खबर से यह पता चलता है कि कहीं न कहीं तीन तलाक का मुद्दा राजनीती से जुड़ा हुआ है। यह खबर राजनीति से संबंधित है।

नई दुनिया , 23 अगस्त 2017 ,पृष्ठ -04 राष्ट्रीय संस्करण
शीर्षक: शाहबानो से लेकर सायरा बानो: इनके संघर्ष से ख़त्म हुआ तीन तलाक

इस खबर का शीर्षक मुस्लिम समाज की महिलाओं का संघर्ष दर्शाता है। इस खबर में एक बार में तीन तलाक की शिकार तमाम महिलाओं की केस स्टडी है जिनको एक बार में तीन तलाक का दंश झेलना पड़ा है। उत्तराखंड की शायरा बानो, इंदौर की शाह बानो, इशरत जहाँ की आफरीन रहमान जयपुर की और गुलशन परवीन रामपुर की अतिया साबरी सहारनपुर की।

इस खबर की प्रस्तुति से लगता है कि मुस्लिम समाज में एक बार में तीन तलाक का चलन बहुत ज्यादा था। इस खबर की प्रस्तुति से यह सन्देश मिलता है कि मुस्लिम समाज की महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरुक हुई हैं धर्म के नाम पर शोषण नहीं किया जा सकता है। यह खबर पीड़ित महिला से संबंधित समाजिक खबर है। इस खबर का निहतार्थ है कि यह ख़बरें पीड़ित महिलाओं को उनके हक़ के लड़ाई के लिए प्रेरित करती हैं।

लोकमत 23 अगस्त 2017 पृष्ठ -07 नागपुर संस्करण
शीर्षक- पंखा बंद किया तो बोल दिया तलाक

इस खबर के तहत तीन तलाक के कई मामले हैं कारण दैनिक जीवन में होने वाली बहुत ही छोटी छोटी बातों पर एक बार में तीन तलाक दिए गए हैं सबसे चौकाने वाला मामला दुबई में रह रहे व्यक्ति ने अपनी पत्नी को व्हाट्सएप्प पर तीन तलाक लिख कर भेज दिया। जबकि शरीयत के अनुसार व्हाट्सएप्प पर तीन तलाक लिख कर भेजना तीन तलाक का वैध तरीका नहीं है। यह खबर सामाजिक है। लोग शरीयत कानून का दुरुपयोग करते हैं।

हिन्दुस्तान 31 दिसंबर 2017 पृष्ठ- 15 गोरखपुर संस्करण
देश, समाज को बदलने वाले फैसले का साल

इस खबर में एक तस्वीर का प्रयोग किया गया है जिसमें मुस्लिम समाज की महिलाएं आल इण्डिया पर्सनल ला बोर्ड की अध्यक्ष शाइस्ता अम्बर और एक दूसरे को मिठाई खिला कर कोर्ट के फैसले पर ख़ुशी का इज़हार कर रही हैं। इस तस्वीर से यह सन्देश स्पष्ट होता है कि मुस्लिम महिलाओं में इस फैसले से राहत पहुंची है।

तथ्य संकलन, विश्लेषण एवं आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण

प्रस्तुत शोध पत्र में प्रिंट मीडिया में तीन तलाक मुद्दे की प्रस्तुती का अध्ययन किया गया है। शोध पत्र के शोध उद्देश्य का तथ्य संकलन प्रश्नावली माध्यम का प्रयोग कर किया गया है। जिसमें बनारस शहर की 50 महिलाओं का चयन किया गया है।

जिनकी आयु 25 से 45 वर्ष है। प्रश्नावली में पांच प्रश्नों को शामिल किया गया है। इन बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से तथ्ययों के संकलन का कार्य किया गया है।

1. तीन तलाक के मुद्दे को आप किस तरह का मुद्दा मानती हैं?
(क) सामाजिक 10
(ख) राजनीतिक 30
(ग) या दोनों 60
(घ) दोनों में से कोई नहीं 0

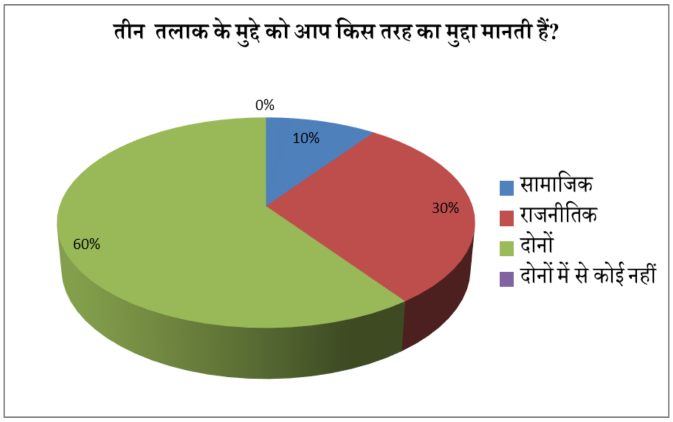

प्रश्नावली के माध्यम से बनारस शहर की महिलाओं से यह जानने का प्रयत्न किया गया कि आप तीन तलाक मुद्दे को किस प्रकार का मुद्दा मानती हैं? तो 20 प्रतिशत महिलाओं ने तीन तलाक के मुद्दे को सामाजिक माना। 30 प्रतिशत महिलाओं ने राजनीतिक और 60 प्रतिशत महिलाओं ने या दोनों विकल्प का चयन किया अर्थात सामाजिक और राजनीतिक दोनों माना। 0 प्रतिशत महिलाओं ने दोनों में से कोई नहीं विकल्प का चयन किया।

2. तीन तलाक पर कानून बनने से क्या मुस्लिम समाज की स्त्री की स्थिति में सुधार आएगा?
(क) हाँ 60
(ख) नहीं 30
(ग) जटिल हो जायेगा 10

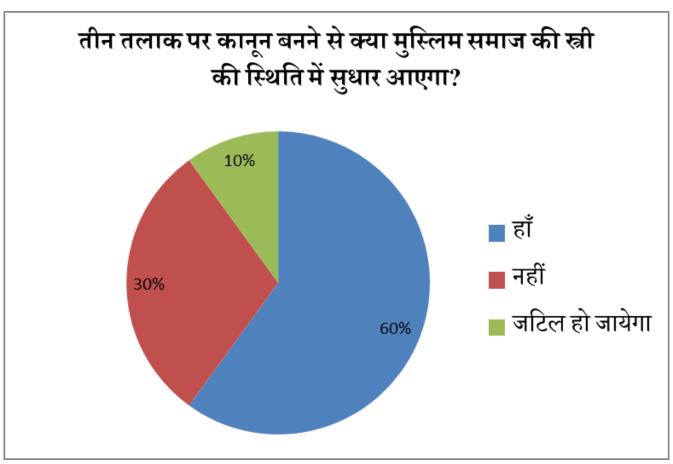

इस प्रश्न के उत्तर में 60 प्रतिशत महिलाओं ने माना कि तीन तलाक पर कानून बनने से मुस्लिम महिला की स्थिति में सुधार होगा। 30 प्रतिशत महिलाओं का मानना है कि स्थिति में सुधार नहीं होगा। 10 प्रतिशत महिलाओं का मानना है कि स्थिति जटिल हो जायेगी।

3. मीडिया में तीन तलाक मुद्दे की प्रस्तुतीकरण को किस तरह से लेती हैं ?
(क) सकारात्मक 50
(ख) नकारात्मक 40
(ग) तटस्थ 10

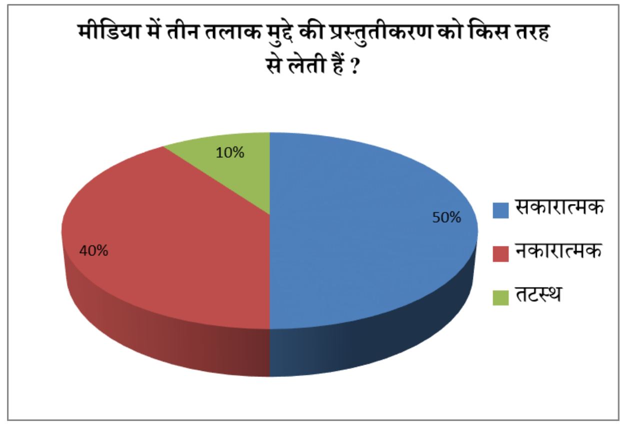

मुस्लिम महिलाएं मीडिया में तीन तलाक के मुद्दे की खबर के प्रस्तुतीकरण को किस तरह से लेती हैं के उत्तर में 50 प्रतिशत महिलाओं ने मीडिया की खबर की प्रस्तुतीकरण को सकारात्मक माना। 40 प्रतिशत महिलाओं ने नकारात्मक विकल्प का चयन किया। 0 प्रतिशत महिलाओं ने तटस्थ माना।

4. तीन तलाक का कारण किसे मानती हैं ?
(क) सामाजिक 20
(ख) धार्मिक 80
(ग) आर्थिक 0

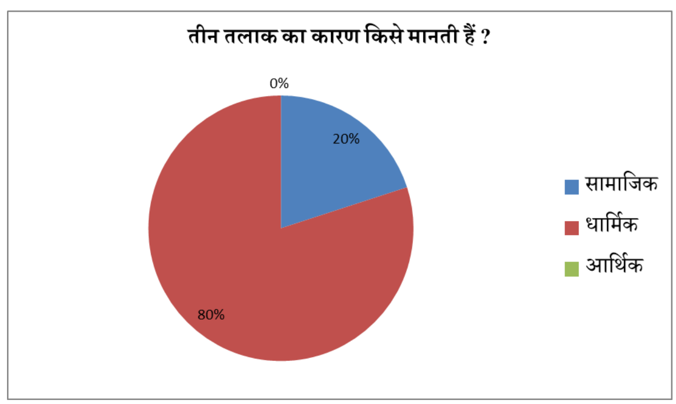

इस प्रश्नावली के माध्यम से तीन तलाक का कारण जानने का प्रयत्न किया गया तो 20 प्रतिशत महिलाओं ने सामाजिक कारण माना। 80 प्रतिशत महिलाओं ने धार्मिक कारण माना। आर्थिक कारण मानने वाली 0 प्रतिशत महिलाएं पाई गयीं।

5. क्या आप तीन तलाक संबंधित शरई कानून को जानती हैं ?
(क) हाँ 50
(ख) नहीं 10
(ग) थोड़ा बहुत 40

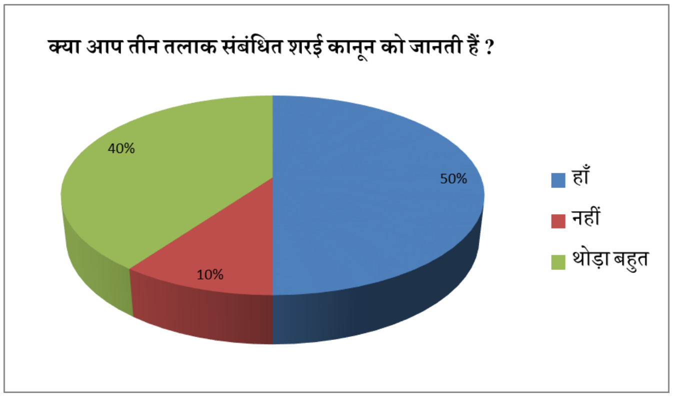

प्रश्नावली के माध्यम से जब यह जानने का प्रयत्न किया गया कि क्या आप तीन तलाक संबंधित शरीयत कानून को जानती हैं? तो 50 प्रतिशत महिलाओं ने माना कि वह शरीयत के कानून को जानती हैं और 10 प्रतिशत महिलाओं ने माना कि वह नहीं जानती हैं। 40 प्रतिशत महिलाओं ने माना कि वह थोड़ा बहुत शरीयत के कानून को जानती हैं।

निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध पत्र 'प्रिंट मीडिया में तीन तलाक संबंधित ख़बरों की प्रस्तुति' को दृष्टिगत रखते हुए एवं शोध प्रविधियों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि तलाक सामाजिक और राजनीतिक दोनों तरह का मुद्दा है। मुस्लिम समाज में तीन तलाक की समस्या है यह ख़बरों की विषयवस्तु विश्लेषण से स्पष्ट होता है। जब बनारस शहर की मुस्लिम महिलाओं से प्रश्नावली के माध्यम से बात की गयी तो 60 प्रतिशत महिलाओं ने तीन तलाक के मुद्दे को सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा कहा। प्रिंट मीडिया की ख़बरों के विषयवस्तु विश्लेषण से यह पता चलता है कि शरीयत कानून का दुरुपयोग होता है। प्रश्नावली शोध प्राविधि के माध्यम से भी पता चलता है कि 50 प्रतिशत महिलाएं शरीयत कानून को जानती है 40 प्रतिशत थोड़ा बहुत जानती हैं और 10 प्रतिशत शरीयत के कानून को नहीं जानती। 50 प्रतिशत महिला शरीयत कानून को जानती है फिर भी तीन तलाक का दंश महिलाओं को झेलना पड़ता है। इससे स्पष्ट होता है कि देश में संवैधानिक कानून की आवश्यकता है। 60 प्रतिशत महिलाओं ने माना कि कानून बनने से मुस्लिम महिला की स्थिति में सुधार आयेगा। यह मीडिया के ख़बरों के विषयवस्तु विश्लेषण से भी स्पष्ट होता है मुस्लिम महिलाएं अपने अधिकार के प्रति जागरुक हो रही हैं उन्हें तीन तलाक संबंधित कानून की आवश्यकता है। मीडिया में तीन तलाक मुद्दे के प्रस्तुतीकरण में 50 प्रतिशत महिलाओं ने सकारात्मक माना है 40 प्रतिशत महिलाओं ने नकारात्मक और 10 प्रतिशत ने तटस्थ लेकिन खाबरों के विषयवस्तु विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है की मीडिया में कुछ ख़बरें भाजपा के वोट बैक को बढ़ावा देने के लिए भी प्रस्तुत की गयी हैं। तीन तलाक के मुद्दे को 80 प्रतिशत महिलाओं ने धार्मिक माना है 20 प्रतिशत ने सामाजिक विषयवस्तु विश्लेषण के माध्यम से भी यह निष्कर्ष निकलता है कि मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड जो कि शरीयत कानून का प्रतिनिधित्व करती है उसने मुस्लिम समाज में तीन तलाक की समस्या को गम्भीरता से नहीं लिया और काम नहीं किया।

सन्दर्भ सूची

1. असलम फहमी, शीबा. इस्लाम ही महिलाओं का सुरक्षा कवच बना.दैनिक भास्कर, 2017.
2. हसन, नाइश. ये ईद जैसा जश्न मानाने का अवसर. नई दुनिया. एग्नेस फलेबिया, शाहबानो से शबाना तक साम्या, 2017.
3. नदवी, मौ. अब्दुर्रहमान नग्रामी. अनु. आजमी हबीबुल्लाह. खावातीने इस्लाम (इस्लाम में महिलाओं का स्थान).सच्चा राही. क़िस्त (छ:), 2010.
4. उमरी, सय्यद मौ. जलालुद्दीन. औरत और इस्लाम.दावत आफसेट, दिल्ली-6. इस्लामी साहित्य प्रकाशन, 2002.
5. रफत जकिया. मुस्लिम विवाह सिद्धांत और व्यवहार.दिल्ली. दानिश बुक्स, 2007.
6. हिना, जाहिदा. अनु. सिद्दीकी शकील. पकिस्तान स्त्री: यातना और संघर्ष, नई दिल्ली.वाणी प्रकाशन, 2010.
7. Allana Mariam, Muslim Women and Islamic Tradition: Studies in Modernization, Kanishka Publishers, Distributors, New Delhi, 2000.
8. Ed. Moghadam, Valentine, Gender and National Identity: Women and politics in Muslim Societies, Zed Book Ltd. London and New Jersey, 1994
9. http://satyagrah.scroll.in/article/25892/swami-vivekananda-opinions-india-problems
10. https://www.navodayatimes.in/news/khabre/supreme-court-will-start-hearing-on-triple-talaq-from-today/41055/
11. यादव राजेंद्र, सहयोगी आलम जौकी मुशरफ. कथा जगत की बागी मुस्लिम औरतें. नई दिल्ली:राजकमल पेपरबैक्स, 2015.
12. मंडन टीएन. मुस्लिम कम्यूनिटी ऑफ साउथ एशिया. नई दिल्ली: राजकमल इलैक्ट्रिक प्रैस, 1976.
13. हीना, ज़ाहिद. न जुनूं रहा न परी रही. नई दिल्ली: वाणी प्रकाशन, 2008.
14. यादव, राजेंद्र, खेतान प्रभा, दुबे अभयकुमार. पितृ सत्ता के नए रूप. नई दिल्ली: राजकमल पेपरबैक्स, 2010.
15. हीना, जाहिदा. अनुवाद डॉ. सुहेल तसनीम. आखरी बूंद की खुशबू. नई दिल्ली: वाणी प्रकाशन, 2010.
16. हीना, जाहिदा. पाकिस्तान डायरी.नई दिल्ली: वाणी प्रकाशन, 2012.
17. लूम्बा, अनिया, रित्या ए. लुकोस. साउथ एशियन फेमिनिज़्म.नई दिल्ली: डुके यूनिवेर्सिटी प्रेस, 2012.
18. ममता सहगल, निर्मला शेरजंग द्वारा अनुवाद. वैवाहिक विवाह कानून, सलाहकरिता और समाधान. नयी दिल्ली: राधाकृष्ण, 2007.
19. सं. सुनील भार्गव, विमला शर्मा. हमारे अधिकार और कानून तलाक.नई दिल्ली: विधानिधि, 2002.
20. गौर सं. पद्मा, श्रीवास्तव नीलम. हमारे अधिकार और कानून इस्लामी शादी कानून. नयी दिल्ली:अरुणोदय प्रकाशन, 2002.
21. अली जाकिर. मुस्लिम विधि.इलाहाबाद: एकता लॉ एजेन्सी, 2007.
22. जमाते-ए-इस्लामी हिन्द. (23rd अप्रैल से 7th मई). मुस्लिम महिलाओं की समस्याएँ और उनका समाधान. नयी दिल्ली: मरकज़ी मकतबा इस्लामी पब्लिशर.
23. मौलाना सैयद अबुल आला मौदुदी. परदा. मर्कजी मक्तबा इस्लामी पब्लिशर्स, 2013.
24. डॉ. फरजाना अमीन आज़ाद. मुस्लिम पुरुष: पोषक या शोषक. जयपुर: संघी प्रकाशन, 2005.
25. ताराचन्द, अनुवाद सुरेश मिस्र. भारतीय संस्कृति पर इस्लाम का प्रभाव.नई दिल्ली: ग्रंथ शिल्पी, 2006.
26. राजकिशोर. आज के प्रश्न 2 भारतीय मुसलमान मिथक और यथार्थ. नई दिल्ली: वाणी प्रकाशन, 2012.

27. डॉ. स.एम अल-दर्श. मुस्लिम वोमेंस ड्रेस हिजाब ऑर निकाब. नई दिल्ली: मिल्लत बूक सेंटर, 2006.
28. एम. एम. सरवर नदवी. जिहाद, आतंकवाद और इस्लाम. लखनऊ: कुरआन अम्न रिसर्च एकडमी, 2008.
29. खाँ, जाहिदा. आजाद हिंदुस्तान में मुसलमान. नई दिल्ली: कानफ़्लुएंट इंटरनेशनल, 2009.